हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक वीरवार दिनांक 2 मार्च, 2017 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

2.3.2017/1100/av/as/1

प्रश्न संख्या : 2298

श्री विक्रम सिंह जरयाल : आदरणीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न पहले भी कई बार लगा है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो कानूनगो, एस0ई0बी0पी0ओज0, पी0आईज0 इत्यादि कई दिनों से घर में ही लगाये हुए हैं। मैंने इस बारे में कई बार लिखकर भी दिया है जैसे श्री संजय कुमार (कानूनगो), श्री रविन्द्र पठानिया (कानूनगो), श्री करण सिंह नारायण (एस0ई0बी0पी0ओ0) और चुराह में पंचायत इन्सपैक्टर है; इस तरह के काफी लोग होम पंचायतों में महत्वपूर्ण पदों पर बैठाये हुए हैं जिससे कार्यभार प्रभावित हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनका होम पंचायत / स्टेशन से कब स्थानांतरण किया जायेगा?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों को स्थानांतरण करने के नियम हैं और उनको कहां लगाया जा सकता है मैंने इस बारे में विस्तृत सूचना सूचना दी है। यदि नियमों के विरुद्ध कोई भी कर्मचारी ऐसी जगह पर लगाया गया है जहां पर उसको नहीं लगाया जाना चाहिए था सरकार उस बारे में कदम उठायेगी।।

श्री विक्रम सिंह जरयाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो स्थानांतरण नीति बनाई है उसका क्या औचित्य है? अगर उन लोगों को घर में ही नौकरी दिलानी है, उनका ऑफिस घर में है और स्टोर इत्यादि सब कुछ घर में ही रखा हुआ है तो इसमें कुछ पारदर्शिता / बदलाव होना चाहिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा है कि घर में तो कोई नहीं रख सकता। मगर विशेष परिस्थितियों के अन्दर घर के नज़दीक लगाने का प्रावधान है subject to the order of the Government. मगर ऐसी परमिशन रेयर केसिज में दी जाती है। आपने जिन कर्मचारियों के नाम लिए हैं मैं इस बारे में देखूंगा और वे अगर जहां के रहने वाले हैं वहीं पर नियुक्त किए हुए हैं तो उनको निश्चित रूप से वहां से स्थानांतरित किया जायेगा।

अगला प्रश्न जारी श्री वर्मा द्वारा

02/03/2017/1105/टी0सी0वी0/ए0एस0/1

प्रश्न संख्याः 3570

श्री संजय रतनः सर, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना यहां सभापटल पर रखी है, वह सूचना अधूरी है। इसमें कुछ हैड नहीं लिए गये हैं। मेरा प्रश्न यह था कि 30 नवम्बर, 2016 तक विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितनी धनराशि सैंक्शन हुई है और कितनी व्यय हुई है? लेकिन इसमें वही हैड मैशन किए गए हैं, जिनमें पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन एम0पी0 लैड, एम0एल0ए0 लैड और एस0डी0पी0 हैड इत्यादि के बारे में यहां पर कोई विवरण नहीं दिया गया है। दूसरा, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसकी कोई समय सीमा है? क्योंकि इसमें अधिकारी पंचायत के नुमाईदों को यह कहते हैं कि इसमें ये हर्डल है, इसकी वज़ह से यह पैसा रिलीज़ नहीं हो सकता है। इसमें कोई समय सीमा तय कर दी जाये कि विभिन्न हैड्ज़ में जो भी कोई पैसा सैंक्शन होता है, उसको एक निश्चित समय के अन्दर युज़ किया जाये और जो अधिकारी हैं, उनके लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक निश्चित समय के अन्दर यह पैसा युज़ होना चाहिए। उसके लिए जो भी कुछ करना है, चाहे वह फॉरेस्ट की क्लीयरेंस हो या असैस्मेट बनाना हो, वह बना दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ब्लॉकों में जितने भी काम होते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा काम सीमेंट न आने के कारण रूके होते हैं। आप सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन से सीमेंट खरीदते हैं, लेकिन सीमेंट समय पर नहीं मिलता है। इसको कुछ सीमा तक ओपन कर दें ताकि पंचायतें ओपन मार्किट से सीमेंट खरीद सकें। सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के डिपों से सीमेंट मांगा जाता है और महीनों भर उसका इन्तजार करना पड़ता है, लेकिन जब तक वह सीमेंट आता है, तब तक वर्किंग सीज़न नहीं रह जाता है। इस प्रकार हमारा पैसा सालों-साल अन-युटेलाईज्ड रह जाता है। मैं ऐसे कई उदहारण आपको अपने देहरा ब्लॉक के दे सकता हूं , जब मैं विधायक नहीं था, उस समय से पैसा अभी भी ब्लॉक में पड़ा हुआ है, लेकिन किसी-न-किसी कारण से वह पैसा युज़ नहीं हो रहा है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य कहना चाह रहे हैं कि इसमें बहुत से हैड का ज़िक्र नहीं किया गया है। मैं आपके

02/03/2017/1105/टी0सी0वी0/ ए0एस0/2

ध्यान में लाना चाहता हूं, चाहे आप अपने ब्लॉक में देख लें, एम0पी0 लैड, एम0एल0ए0 लैड, कृषि विकास निधि योजना,डी0एस0पी0, एस0डी0पी0,एस0सी0, एस0पी0,एम0एम0जी0पी0वाई0,एन0सी0आर0 इत्यादि हैड इसी में आते हैं। इसलिए जो ज्यादा पैसा अभी तक युटेलाइज नहीं हुआ है, वह प्लानिंग हैड का है। प्लानिंग हैड में लगभग 394,72,85,000/- रूपये का एक्सपैंडिचर नहीं हुआ है, उसमें 266,27,11,000/- मात्र प्लॉनिंग हैड का है, जो डी0सी0 के माध्यम से ही देखा जाता है और डी0सी0 ही इसको रिव्यू करता है। पंचायती राज का मात्र 128,45,74,000/- रूपया अन-युटेलाइज्ड पड़ा है। इसका मुख्य कारण यह है कि जो हमारी हाऊसिंग स्कीम थी, केन्द्र ने जब तक उस हाऊसिंग स्कीम को 1,30,000/- रूपये किया तब तक पैसा डिसबर्स नहीं हुआ और साथ ही मनरेगा के अन्दर भी डायरेक्ट पेमेंट हो रही है। मनरेगा के अन्दर पहले पैसा स्टेट हैड से जाता था, अब मनरेगा के जितने भी इम्पलॉइज़ हैं, उनको डॉयरेक्ट पेमेंट हो रही है। इसके अलावा आपने जो सीमेंट की बात की है, यह ठीक है कि सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन में मनरेगा के अन्दर मैटिरियल हैड में पैसा कम मिल रहा है, क्योंकि सेंटर से पैसा डायरेक्ट मनरेगा के हैड में आ रहा है लेकिन जो मैटिरियल का पैसा है, वह डिमाण्डज़ के अनुसार आता है। इस समय हमारे पास लगभग 38 करोड़ की डिमाण्डज़ हैं और 10 करोड़ रूपया अभी तक हमें मिला है। इसलिए मनरेगा के अन्दर मैटिरियल के लिए कम पैसा आ रहा है, उसकी वज़ह से सीमेंट समय पर देना संभव नहीं हो रहा है।

डॉ0 राजीव बिदल: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा श्री संजय रतन जी ने पूछा और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, ये जो प्लॉनिंग हैड के अन्दर पैसा रूक रहा है उसके प्रति सरकार को गंभीरता से चिंता करनी पड़ेगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्लॉनिंग हैड का 21 करोड़ रूपया है, लेकिन आप यहां पर सिरमौर जिला के अन्दर 21 करोड़ रूपया

प्लानिंग हैड का दिखा रहे हैं और वह छोटे-छोटे काम पर ऐसा लगता है जैसे बी0डी0ओ0 का काम सिर्फ काम रोकने का है। एम0एल0एज को भी बी0डी0ओ0 के पास जाकर बैठे रहना पड़ता हैं। हमने 15-15 मीटिंग आपके बी0डी0ओज के साथ की है, परन्तु 15 मीटिंग में 50,000/- रूपये का काम आगे बढ़ाने के लिए भी वह तैयार नहीं होता है।

श्रीमती एन0एस0---- द्वारा जारी ।

02/03/2017/1110/ एन0एस0/डी0सी0 /1

प्रश्न संख्याः 3570----- क्रमागत

डॉ राजीव बिन्दल -----जारी

यह स्थिति आपके बी0डी0ओज़0 की है और विधायक निधि, एम0पी0 लैड और बाकी हैडज़ के पैसे को जंग लग रहा है तथा उससे विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। दूसरा, आप ज़िला सिरमौर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 14 करोड़ 15 लाख रूपये की राशि यहां पर दिखा रहे हैं। वहां पर लोगों को टॉयलेट बनाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। लोग इस पैसे को लेने के लिए परेशान हैं। जिन्होंने टॉयलेट बना दिए हैं उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। आपकी जो सूची है उसके अंदर भी प्रॉब्लम है जिससे परेशानी आ रही है। सरकार शहर, गांव और बस अडडों पर कम्युनिटी टॉयलेट बनाने के लिए पैसा नहीं दे रही है और आप यहां पर लगभग 14 करोड़ रूपये की राशि दिखा रहे हैं। हमने इसके लिए अनेक बार ज़िलाधीश महोदय से भी कहा है।

अध्यक्ष : आप अपनी बात शोर्ट में कीजिए।

डॉ राजीव बिन्दल : आपने स्वच्छ हिमाचल डिक्लेयर करके ईनाम भी ले लिया। अभी भी आप मेरे इलाके में सवेरे जा करके फोटो खिंचवा लें। मैंने आपके जिलाधीश को फोटोज़ प्रेषित भी किए हैं कि वहां पर कितने लोग पैसे के लिए लाईन में बैठ रहे हैं क्योंकि वहां पर कम्युनिटी टॉयलेट का पैसा रिलीज़ नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं

कि क्या मंत्री जी इस पर तुरन्त कार्रवाई करेंगे ताकि प्लानिंग का पैसा जल्दी जारी किया जाए, क्या मंत्री महोदय बी0डी0ओज़0 को डॉयरैक्शन्ज़ देंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जी ने कहा है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि प्लानिंग हैड के पैसे की मोनिटरिंग ज़िलाधीश के माध्यम से ही होती है। ब्लॉक में बी0डी0ओ0 का काम भी मोनिटरिंग करना और काम शुरू करना है। उसमें कई तरह की समस्यायें आ भी सकती हैं। आपने

02/03/2017/1110/ एन0एस0/डी0सी0 /2

जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत बात की है तो उसके लिए हमारे पास फण्डज़ अवैलेबल हैं। कई बार लैंड की समस्या आती है तब उसकी वजह से कहीं पर टॉयलैट नहीं बने होंगे। दूसरा, जो आपने कहा है कि अगर पैसा जिलाधीश के माध्यम से जारी होता है तो उसके लिए हम बी0डी0ओज़0 को डॉयरैक्शन्ज़ जारी करेंगे कि जल्दी-से-जल्दी इसको खर्च करें।

श्री महेन्द्र सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय विधायक जी की मन्शा थी कि प्लानिंग का जो पैसा जिलाधीश और बी0डी0ओज़0 के पास है, उस पैसे को खर्च न किया जाए। मंत्री महोदय ने कुछ सूचना तो बड़े विस्तार से दे दी लेकिन जो मूल सूचना थी आपने उसको छिपाने का प्रयास किया है। मैं माननीय मंत्री जी के अलावा माननीय मुख्य मंत्री जी से भी जानना चाहता हूं कि जैसे प्लानिंग की बैठक होती है और उसमें पूरे साल के लेखे-जोखे को डिस्कस किया जाता है, तो क्या जिलाधीश के स्तर पर बी0डी0ओज़0 की भी बैठक होती है? उसमें एम0पी0लैड, विधायक क्षेत्र विकास योजना, डी0सी0पी0,बी0ए0एस0पी0 तथा मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा है उन सबकी मोनिटरिंग होती है। फिर भी क्या कारण है कि बी0डी0ओज़ के पास धनराशि पड़ी रहती है? अगर आप इस पूरी स्थिति को देखेंगे तो लगभग चार सौ करोड़ की धनराशि एक वर्ष की अनस्पैंट पड़ी है। क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि आज से पिछले वर्षों की कितनी राशि ऐसी है जोकि विभिन्न विकास खंडों के पास अनस्पैंट पड़ी हुई है और क्या आप उस राशि को खर्च करने के लिए कोई टाईम बांउड पीरियड तैयार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, माननीय मंत्री जी ने कहा कि मनरेगा में जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनका वेतन भारत सरकार से डायरैक्ट उनके अकाउंट में आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, उनकी सैलरी पहली अप्रैल से आना शुरू होगी। माननीय मंत्री जी, ऐसे हज़ारों मज़दूर मनरेगा के हैं जिन्होंने 14-14 मस्ट्रोलों पर काम किया है लेकिन अभी तक उनकी सैलरी नहीं मिली है। क्या उनकी सैलरी को दिलाने के लिए सरकार और माननीय मंत्री जी कोई कदम उठाऐंग?

मंत्री जी श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

02/03/2017/1115/RKS/DC-1

प्रश्न संख्याः 3570...जारी

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, मनरेगा के अंदर अभी सैंटर गवर्नमैंट द्वारा ऑन लाइन, डायरैक्ट पेमैंट 100 करोड़ रुपये रिलीज़ किये गये हैं और अब पेमैंट ऑन लाइन होनी शुरू हो गई है। <u>जिस पैसे की आप बात कर रहे हैं, उसकी हमें पूरी जानकारी दीजिए, हम पूरी इन्क्वायरी करेंगे कि किसका पैसा स्टेट गवर्नमैंट की तरफ से ऑन-लाइन नहीं हुआ है</u>। बाकि जो आप फंड्स की बात कर रहे हैं कि कितना पैसा अनयुटिलाइजड पड़ा है, जैसा कि आप प्रश्न के उत्तर में पढ़ रहे हैं और इसमें जो विस्तृत जानकारी दी है, उसमें ओपनिंग बैलेंस है, opening balance received during the year है जोकि एक्सपैंडिचर और बैलेंस है। इसमें सभी चीजें हैं। इसका मतलब यह है कि ओपनिंग बैलेंस पिछले वर्षों का लगातार चला हुआ है। इसके कंटिन्युस होने की वजह से जो टोटल में से एक्पैंडिचर हो रहा है, यदि आप इसको देखेंगे तो हर वर्ष आपको कोई-न-कोई बैलेंस नज़र आएगा। दूसरा, जो आप कह रहे हैं कि बी.डी.ओ. के माध्यम से पैसा यूटिलाइजड नहीं हो रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार विधायक निधि से पैसा जाता है परन्तु फिज़िबली वह काम नहीं होता है। यह पैसा सांसद की नीधि से भी जाता है और सांसद इसको रिव्यू करता है। कई जगह एफ.सी.ए. के केस होते हैं और कहीं डिस्पयुटिड लैंड होती है। बी.डी.ओ. के पास जब तक पूरे कागज़ नहीं होगें तब तक काम

शुरू नहीं किया जा सकता है। इसको रिव्यू करने के लिए समय लगता है। इसलिए कई जगह पैसा यूटिलाइजड नहीं होता है। आप देखें कि पिछले वर्ष का ओपनिंग बैलेंस कितना है। हर ब्लॉक के अंदर ओपनिंग बैलेंस ड्यूरिंग दी ईयर है।

श्री संजय रतनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दो चीजें जानना चाहता हूं। मेरा जो मूल प्रश्न था और मेरी यह इच्छा थी कि जो अनसपैंट मनी है, वह चाहे किसी भी हैड में है, मैं मनरेगा की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी हैड में जो ब्लॉक द्वारा पैसा खर्च किया जाता है उसको कम-से-कम समय में लगाने

02/03/2017/1115/RKS/DC-2

के लिए क्या प्रबंध करेंगे? इसके लिए क्या कोई समय-सीमा तय की जाएगी? अगर मान लो 6 महीने या एक साल का समय तय करते हैं और वह पैसा खर्च नहीं होता है, इसके लिए चाहे जो भी कारण हो, चाहे फोरैस्ट क्लीयरैंस का कारण हो या साइट नहीं मिल रही है तो उस पैसे को दूसरे हैड में ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके दो मुख्य कारण है एक तो फोरैस्ट क्लीयरैंस नहीं मिलती परन्तु इसके लिए अब माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक हैक्टेयर तक अलाउ कर दिया है। अब ज्यादातर केसिज़ बन रहे हैं, उनमें क्लीयरैंसिज हो रही है। लेकिन जब क्लीयरैंस हो जाती है तो सीमेंट नहीं मिलता है और कहा जाता है कि सिविल सप्लाई कौरपोरेशन को डिमांड भेजी है।सिविल सप्लाई कौरपोरेशन 3-3, 4-4 महीने डिमांड को पूरी नहीं करती है। उसके बाद जब एक ट्रक सीमेंट का आता है तो वह पूरी पंचायतों में भेजा जाता है। एक ब्लॉक में यदि 70 पंचायतें हो तो वह ट्रक कहां-कहां जाएगा? दो-दो बोरी हिस्से में आती है। अगर किसी को 100 बोरी दे दी जाए तो बाकि जगह सीमेंट नहीं मिलता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप ओपन मार्किट से सीमेंट लेना अलाउ करेंगे?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा ओपन मार्किट में सीमेंट का रेट ज्यादा होता है इसलिए यह सिविल सप्लाई कौरर्पोरेशन से ही लिया जाता है। हम आपको आश्वत करेंगे कि सीमेंट समय पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

दूसरा, आपने अनयुटिलाइजड मनी की बात कही इसके लिए हम डिप्टी कमिश्नर को हिदायत करेंगे कि अनयुटिलाइजड मनी चाहे विधायक निधि का हो, चाहे सांसद निधि का हो, जो किसी कारण से यूटिलाइजड नहीं हो रहा है इस मनी को रिव्यू किया जाए और रिव्यू करके पैसा वापिस किया जाए। चाहे वह पैसा प्लानिंग हैड से आया हो यदि साल भर से यह पैसा यूटिलाइजड नहीं होता है तो इसको रिव्यू करने के लिए हम कहेंगे।

अध्यक्षः धूमल जी आप कुछ बोलना चाहेंगे?

02/03/2017/1115/RKS/DC-3

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम मान रहे हैं कि करोडों रुपये, अरबों रुपये अनसपैंट ब्लाक्स में पड़ा है।

मुख्य मंत्रीः खरबों तो कहीं नहीं है, लाखों हो सकता है। हम उस दिन के इंतजार में हैं कि हमारी पंचायतों को अरबों रुपये आ जाए। (व्यवधान) Don't exaggerate things.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः Exaggerate तो आप कर रहे हैं। (व्यवधान) कितने करोड़ रुपये का अरब होता है? 300 करोड़ और 400 करोड़ रुपये का क्या अरब नहीं होता? अध्यक्ष महोदय, इतना पैसा अनसपैंट पड़ा है और कल राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कह दिया कि प्रदेश "खुला शौच मुक्त" हो गया है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड भी मिला है। अभी माननीय सदस्य ने कहा

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

02.03.2017/1120/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 3570.. क्रमागत

प्रो० प्रेम कुमार धूमल... जारी

कि फोटो खींचकर डी०सी० को भेजे हैं कि लोग खुले में शौच कर रहे हैं। क्या आप अपना मान-सम्मान बचाने के लिए अब उस पैसे को शौचालय बनाने के लिए डाइवर्ट करेंगे; बी०डी०ओज० को आदेश देंगे कि इस पैसे को ख़र्च किया जाए ताकि जो झूठा दावा किया था उसको सच्चा किया जा सके?

Chief Minister: Hon'ble Speaker, Sir, let me reply. अध्यक्ष महोदय, यह हिमाचल के लिए एक उपलब्धि है कि हिमाचल प्रदेश को शौचमुक्त राज्य घोषित किया गया है। यह भारत सरकार ने किया है। यह उन्होंने हमारी रिपोर्ट पर नहीं बल्कि स्वयं यहां आकर और कमेटी के द्वारा मुआयना करने के बाद घोषित किया है। हो सकता है कि किसी एक या दो गांवों में लैप्स रहा हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन जहां पर भी लैप्स रहा है वहां पर भी जल्दी-से-जल्दी शौचालय बनने चाहिए। **बी०डी०ओज० और डिप्टी कमिश्नर्ज़ को यह हिदायत दी जाती है कि वे इस काम को संपूर्ण करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं। मैं चाहता हूं कि एक महीने के अंदर, जहां भी बकाया ट्वाएलेट बनने को रह गए हैं या जहां ट्वाएलेट अधूरे रह गए हैं वह जल्दी-से-जल्दी बनकर तैयार हों।** जहां तक यह कहना कि यह आम है, (हंसी में) हमारे जो नाहन के विधायक है वह शायद कैमरा लेकर जाते होंगे कि कौन टट्टी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन मूत्र कर रहा है...(व्यवधान)...

Speaker: Next Question. No, no. Enough of this. बहुत टाइम हो गया। इसी प्रश्न ने काफी समय ले लिया।

Chief Minister: <u>Sir, I have said that we will take action</u>. एकाध जगह पर ऐसा हो सकता है।

02.03.2017/1120/SLS-AG-2

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने अभी माना कि कहीं लैप्स रहा होगा। जब यह अवार्ड मिला था, तब भी मैंने एक उच्चाधिकारी को फोन करके कहा था; जब शिमला में जौंडिस फैला तो जो सैंट्रल टीम आई थी, उसने जो रिपोर्ट दी थी उसमें था कि ओपन डैफेकेशन के कारण, जहां पानी को साफ करने का काम होता था, वहां गंदगी पड़ी हुई थी। कंस्ट्रक्शन लेबर वहां पर बाहर ट्वाएलेट जाते थी। तब मुझे कहा गया कि हमने तो केवल ग्रामीण क्षेत्र की रिपोर्ट दी है और यह अवार्ड केवल ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर मिला है। शहर में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, जहां भी हो, ओपन डेफेकेशन तो ओपन डेफेकेशन ही है। मेरे यह कहना पर पहले मुख्य मंत्री महोदय ज्यादा गुस्से में हो गए थे। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो अवार्ड मिला है उसको जस्टिफाई करने के लिए अब भी, जो पैसा पड़ा है और यह फैक्ट है कि हमेशा बी०डी०ओज० के पास बहुत सारा पास अनस्पैंट रहता है, क्या सरकार यह रिपोर्ट मंगवाएगी कि किस-किस बी०डी०ओ० के पास कितना पैसा पैंडिंग पड़ा है। अब जैसे मुख्य मंत्री महोदय ने कहा है कि एक महीने के अंदर सब जगह ट्वाएलेट बन जाएं, क्या इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे? एक महीना इसी सैशन के दौरान हो जाएगा। क्या 6-7 अप्रैल को आप जवाब देंगे कि सब जगह ट्वाएलेट बन गए?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अवार्ड हमने खुद अपने आपको नहीं दिया है। भारत सरकार से टीम आई, उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के आधार पर ही हिमाचल प्रदेश को नंबर-3 या नंबर-2 नहीं बल्कि नंबर-1 का अवार्ड मिला है। मैं ये कहता हूं कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है, फैले हुए इलाके हैं, इसलिए हो सकता है and it is possible कि एकाध जगह पर कोई त्रुटि रही हो। हमें जो अवार्ड मिला है don't try to make a joke out of it? It is your Government which has given it after due consideration and due Inspection. **दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां त्रुटि रही है, मैंने पहले भी कहा है कि वहां जल्दी-से-जल्दी उस त्रुटि को दूर किया जाए। हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, यह उनका दायित्व होगा।** उनके नीचे जो

जारी ..श्री गर्ग जी

02/03/2017/1125/RG/AG/1

प्रश्न सं. 3570----क्रमागत

मुख्य मंत्री--क्रमागत

एवं उपायुक्तों का भी यह दायित्व होगा। **<u>मैं कहता हूं कि एक महीने के अन्दर कोई भी स्थान ऐसा नहीं होगा जहां पर शौचालय काम न करे।</u>**

02/03/2017/1125/RG/AG/2

प्रश्न सं. 3678

अध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी को इसके लिए प्राधिकृत किया गया है।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न का महत्व ही कम कर दिया गया है और माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जी की ओर से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी इसका उत्तर दे रहे हैं। जो उत्तर दिए गए हैं उनमें लिखा है सारी-की-सारी डी.पी.आर्ज. सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य बना रहा है। तो मूल रूप से जो सारी-की-सारी डी.पी.आर्ज. बनाने का काम और खेतों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम सही मायने में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग ही करता है। यह कृषि विभाग इतना बड़ा काम नहीं करता और ये सारे-के-सारे जवाब यहां सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के दिए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू की गई है और प्रदेश में भी लागू हो रही है जिसकी डी.पी.आर्ज. आपने बनाकर भेजी हैं, इस सारे को सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग ही देखे न कि कृषि

विभाग। क्योंकि उनके पास इन परियोजनाओं को बनाने के लिए 'टैक्नीकल नो हॉऊ' नहीं हैं। मेरा यह सुझाव है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि उत्तर मेंजो अनैक्श्चर 'ए' लगाया गया है उसमें दूसरे कॉलम में Name of District और दूसरे कॉलम में Area proposed under PMKSY for IPH Department for 2016-2020 लिखा है। क्या यह एरिया हैक्टेयरर्ज में है, कनाल में हैं या बीघा में है या फिर किस यूनिट में है? आपने इस बात की कोई जानकारी इसमें नहीं दी है। इसका योग 1,86,016 दिया गया है। यह आंकड़ा हैक्टेयर, बीघा या क्या है इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसी के साथ अन्तिम कॉलम में Total plan proposed for IPH Department for 2016-2020 के सब-कॉलम में लिखा है, 'हर खेत को पानी', लेकिन इसमें नंबर ऑफ स्कीम्ज कोई भी मेन्शन नहीं की गई है कि कितना हर खेत को पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है? इसमें अमाउन्ट तो दिए गए हैं, लेकिन ये कितनी स्कीम्ज हैं जो 'हर खेत को पानी के अन्तर्गत' भारत सरकार को प्रस्तावित की गई हैं, इसका भी कोई पता नहीं है। इसलिए यह सारे-

02/03/2017/1125/RG/AG/3

का-सारा उत्तर ही अधूरा है। इसके लिए आप तैयारी करके नहीं आए हैं और माननीय कृषि मंत्री जी होते, तो शायद उनको भी पता नहीं लगता। लेकिन शायद इस प्रश्न की तैयारी नहीं है।

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री रविन्द्र सिंह : मैंने ये दो प्रश्न पूछे। इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसको फौलो अप कौन करेगा? ये जिन योजनाएं की जानकारी यहां पर दी गई है जो भारत सरकार को भेजी गई हैं इनको फौलो अप कौन करेगा?

Speaker: Please be brief in the supplementary.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो प्रश्न ही पूछ रहा हूं भाषण तो कर ही नहीं रहा हूं।

Speaker: It is a very long time you have been asking.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर इसमें दिया गया है मैं उसी से संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा हूं। मैंने कोई फालतू की बात नहीं की है।

Speaker: You just tell in brief. You can't read it.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर के 'ख' भाग में जो दर्शाया गया है कि 1911.95 करोड़ रुपये की जो योजना आपने ए.आई.बी.पी., हर खेत को पानी और CADWM के अन्तर्गत भेजी हैं, तो इनको फौलो अप कौन कर रहा है? क्या इनको कृषि विभाग, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग या अन्य कोई करेगा? मैंने तो इसका योग नहीं किया, परन्तु ये कह रहे हैं इसका योग ही गलत है। तो इसको फौलो अप कौन

02/03/2017/1125/RG/AG/4

करेगा? पहले हम इनको फौलो अप करने के लिए एक टीम दिल्ली में बैठाते थे। इनको फौलो अप करते थे तभी आपने जो यहां पर सूचनाएं उपलब्ध करवाई हुई हैं ये उस समय की योजनाएं हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी हैं। क्या ये जो मैंने 2-3 प्रश्न आपके समक्ष रखे हैं इनके बारे में यहां पर बताएंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्वयं कन्फ्यूज हो गए हैं और प्रश्न का उत्तर पढ़कर ज्यादा कन्फ्यूज हुए हैं। क्योंकि ये बार-बार समाचार-पत्रों में बयान देते हैं कि प्रदेश सरकार डी.पी.आर. नहीं भेज रही है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत हमने जो डी.पी.आर्ज. हमने जो 2015-16 को डी.पी.आर्ज. भेजी हैं उसकी कोई अप्रूवल नहीं आई है। इन्होंने यह भी पूछा कि यह हैक्टेयर, बीघे या

कनाल किसमें है, तो शायद इन्होंने पढ़ा नहीं , अनैक्श्चर 'ए' में ऊपर ही लिखा है कि 'Area in hectares and rupees in crores.

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

02/03/2017/1130/MS/AS/1

प्रश्न संख्याः 3678 क्रमागत-- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी-----

इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। ये जवाब देखकर ही कन्फ्यूज हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) Component I am replying on the behalf of the State Government. क्योंकि "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" कृषि विभाग के अंडर आती है। मैंने कृषि विभाग तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग दोनों का कम्बीनेशन करके जिसमें सैक्रेटरी (आई0पी0एच0) और अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि) दोनों थे, उनके साथ बैठकर विस्तृत रूप से विचार किया है। हमने एक्सलरेटिड इरीगेशन बेनिफिट प्रोग्राम की सात डी0पी0आर्ज0 बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी है। "हर खेत को पानी"- शैल्फ 118 माइनर इरीगेशन स्कीम केन्द्र सरकार को भेजी है। इसके अलावा हमने कमांड एरिया डवलपमैंट वाटर मैनेजमैंट की भी छः डी0पी0आर्ज0 केन्द्र सरकार को भेजी हैं और उसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, इन योजनाओं से 69484.13 हैक्टेयर कृषि सिंचित होगी व डी0पी0आर0 के अनुसार राशि का विवरण निम्न प्रकार से हैं ऐसा लिखित उत्तर में दिया हुआ है लेकिन इन्होंने उत्तर पढ़ा ही नहीं है। हम हैक्टेयर में जवाब दे रहे हैं लेकिन ये पूछ रहे हैं कि भूमि बीघे में है, कनाल में है या एकड़ में है। अंग्रेजी---दूसरे, अध्यक्ष जी, मुझे यह भी कहना है कि AIBP कम्पोनैंट की 1329.86 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 हमने केन्द्र सरकार को भेजी है। "हर खेत को पानी" की 351.05 करोड़ रुपये की योजना केन्द्र को भेजी है। यह योजना 90:10 के आधार पर होती है। इसमें 10 प्रतिशत हिस्सा हमारा है और 90 प्रतिशत भारत सरकार का है। कमांड एरिया डवलपमैंट एण्ड वॉटर मैनेजमैंट में 50:50 है और इसकी जो स्कीमें भेजी हैं वे 230.14 करोड़ रुपये की हैं। इस तरह से टोटल 1911.05 करोड़ रुपये की स्कीमें हमने केन्द्र सरकार को भेजी हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि यह कैसे परस्यू हुआ। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो एडिशनल चीफ सैक्रेटरी (इरीगेशन) थे उन्होंने दो पत्र जो स्कीमें स्टेट लैवल सैंक्शनिंग

कमेटी की मीटिंग जोकि चीफ सैक्रेटरी की चैयरमैनशिप में होती है और उसका जो मैम्बर सैक्रेटरी होता है वह डायरेक्टर (एग्रीकल्चर) होता है। वह फिर पत्र आगे भेजता है और इरीगेशन की तरफ से एडिशनल चीफ सैक्रेटरी (इरीगेशन एण्ड पब्लिक हैल्थ) जो उस वक्त के थे उन्होंने दो पत्र इसलिए भेजे कि हमने ये स्कीमें भेजी हैं इसलिए कृपया आप इनकी सैंक्शन/एप्रूवल दे दो। Inspite of, we sent so many DPRs to the Govt. of

02/03/2017/1130/MS/AS/2

India, Minister of Water Resources and Rural Development, the Govt. of India has not responded as yet. They have not given us even a single pie, single penny for the approval of these Schemes. इसलिए बार-बार यह कहना कि केन्द्र सरकार पैसा दे रही और हम डी0पी0आर्ज0 नहीं भेज रहे हैं ऐसा नहीं है। हम डी0पी0आर्ज0 भेज रहे हैं लेकिन केन्द्र सरकार पैसा नहीं दे रही है।

Speaker: You must be satisfied now.

श्री महेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं। आपने कहा कि हमने AIBP की सात डी0पी0आर्ज0 भारत सरकार को भेजी है। माननीय मंत्री जी बतलाएंगे कि जो आपने सात डी0पी0आर्ज0 भारत सरकार को भेजी हैं क्या वे स्टैक की कमेटी से सैंक्शन करवाकर भेजी हैं? दूसरे, उसकी जो शेष औपचारिकताएं हैं जोकि सी0डब्ल्यू0सी0 से आपको करवानी थी क्या वे शेष औपचारिकताएं भी आपने भारत सरकार के बीच जाकर पूरी करवाई हुई हैं? तीसरे, क्या आप बतलाएंगे कि जो आपने सात डी0पी0आर्ज0 भेजी हैं ये कौन-कौन सी हैं ताकि प्रदेश को पता चल सके कि फलां-फलां डी0पी0आर्ज0 आपने भेजी हैं या AIBP के अंतर्गत भारत सरकार पैसा देने के लिए तैयार है? वास्तव में आपने जो डी0पी0आर्ज0 भेजी हैं वे सारी-की-सारी डी0पी0आर्ज0 अधूरी हैं। इस करके वे डी0पी0आर्ज0 भारत सरकार से वापिस आ रही हैं। क्या माननीय मंत्री जी बतलाएंगे कि ये जो सात डी0पी0आर्ज0 हैं ये आपने स्टैक की मीटिंग से और सी0डब्ल्यू0सी0 से सारी क्लीयर करवाकर भारत सरकार को भेजी हैं?

जारी श्री जे0एस0 द्वारा-----

2.3.2017/1135/जेके/एएस/1

प्रश्न संख्याः 3678------जारी-----

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यहां पर बड़ा विस्तृत रिप्लाई दिया गया है। जिन स्कीमों की हमने डी0पी0आर0 भेजी है उनमें 1857 स्कीमें माईनर इरिगेशन वगैरह सबकी है और ये 7 डी0पी0आर0 तो मैंने दूसरी बताई है। इसमें टोटल स्कीमों के नाम बताए गए हैं और जिला वाईज बताया गया है। जिला वाईज दिया है। उसमें कितना कमांड एरिया होगा और कितनी कॉस्ट है अगर माननीय सदस्यों ने यह रिप्लाई पढ़ा होगा तो इनको पता चल जाएगा। जितनी भी डी0पी0आर0 हमने केन्द्र सरकार को भेजी है ये स्टेट की जो सैंक्शनिंग कमेटी है उसकी अप्रूवल के बाद भेजी है। और जो स्टेट टैक्निकल एडवाईज़री कमेटी है, उन्होंने अप्रूव करके केन्द्र सरकार को भेजी है। उसमें कोई कन्फ्युज़न नहीं है लेकिन यह नोटिफाई स्कीम वर्ष 2015 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना नोटिफाई केंद्र सरकार ने की और हमने भी नोटिफाई कर दी। उसके मुताबिक कहा कि सारे फटाफट इसकी स्कीमें बनाओ। स्कीमें बना करके पूरी की पूरी फॉर्मेलिटी कम्पलीट करने के बाद हमने केन्द्र सरकार को भेजी है और अध्यक्ष महोदय, फिर केन्द्र सरकार को उसके बाद जो चिट्ठियां भेजी गई है उसमें मैं बता देना चाहता हूं कि In pursuance to the operational guidelines of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute State Level Sanctioning Committee to sanction specific projects recommended by Inter Department Working Group to the SIP, District Irrigation Plan, in conformity with the guidelines of implementation under Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna in the State, notified on 6th September, 2015. District Level Implementation Committee is also constituted on September 16, 2015 to oversee the implementation of the projects and inter department coordination,

as you said, Agriculture and Irrigation, both. Similarly, Sir, our Additional Chief Secretary, wrote two letters, in pursuance, after sanctioning by the State Level Sanctioning Authority to the Govt. of India, Secretary to the Ministry of Rural Development and Water Resources. But they have not even acknowledged our letter. (व्यवधान) मैं यहां पर सात स्कीमों नहीं बल्कि सारी स्कीमों के नाम बताता हूं। यहां पर सारी की सारी स्कीमें लिखी हुई है।

2.3.2017/1135/जेके/एएस/2

इन सात डी0पी0आर0 के अलावा जो आगे बनी है उसमें टोटल हमारी डी0पी0आर0 1,857 नम्बर ऑफ स्कीम्ज की हैं। उससे 1 लाख 86 हजार 18 हेक्टेयर कमांड एरिया इरिगेट होगा। उसमें टोटल पैसा 5663.54 करोड़ रूपया खर्च किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय इसमें हमने सारी सूचना दे रखी है। इसके साथ जो मीडियम इरिगेशन प्रोजैक्ट की डी0पी0आर0 है Medium Irrigation Project in Nadaun in district Hamirpur, जो कि नादौन चुनाव क्षेत्र में आता है इसमें 156 करोड़ 31 लाख रूपए में टोटल हेक्टेयर एरिया इरिगेट होगा वह 2,880 हेक्टेयर है। आपने इसको पढ़ा नहीं है और इसमें सारी सूचना दी गई है। Medium Irrigation Project Fina Singh in district Kangra आपने सात के बारे में पूछा (व्यवधान)अब नाम तो गिनने दो। यह आपके टाईम की स्कीम नहीं है। आप बैठो और पहले नाम सुनो। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, क्या इनको पता ही नहीं है।

Speaker: Please, be patient.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: हमने इसकी डी0पी0आर0 और एक्सटैंक्शन की भेजी है, आपको पता होना चाहिए। यह आपके टाईम की नहीं है। शाहनहर हमारे टाईम की है। सिद्धाता हमारे टाईम की है। फिनासिंह की डी0पी0आर0 भी अब हमने तैयार की है। इसलिए अध्यक्ष महोदय Medium Irrigation Scheme Fina Singh in district Kangra कांगड़ा, नूरपुर 204 करोड़ 51 लाख रूपए की है। इसमें 4 हजार 25 हेक्टेयर एरिया होगा। मीडियम इरिगेशन प्रोजैक्ट कांगड़ा के ज्वाली में है जो

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

02.03.2017/1140/SS-DC/1

प्रश्न संख्याः 3678 क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागतः

153 करोड़ 06 लाख का है और इसी तरह से चौथा है Medium Irrigation Project Prini to Bijli Mahadev in District Kullu, जिसका महेश्वर सिंह जी ने जवाब पूछा है। पांचवा है Medium Irrigation Project, Satyar Khud in District Mandi. छठा है Medimum Irrigation Project, Koncil to Jharera in District Mandi. ये दोनों प्रोजैक्ट आपकी धर्मपुर कांस्टीचुऐंसी के हैं। Medimum Irrigation Project, Sukha Har in District Kangra, यह ज्वालामुखी में है। यह 194 करोड़ 47 लाख का है। आपने सात के बारे में पूछा है, टोटल 1329 करोड़ 86 लाख इसमें खर्च होगा और 19301 हैक्टेयर इससे और एडिशनल इरिगेशन होगी। महेन्द्र सिंह जी, try to understand , क्वैश्चन पढ़ो।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मंत्री महोदय ने सभापटल पर रखी है उसके अन्तर्गत कुल्लू जिला से ही 13 लघु सिंचाई योजनाएं, दो कमांड एरिया डिवैल्पमैंट योजनाएं एवं मीडियम सिंचाई योजनाएं, जिसके अन्तर्गत 5360 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी और इसके ऊपर खर्चा 44 करोड़ बताया गया है। इसके अतिरिक्त जिसका आपने अभी-अभी ज़िक्र किया, अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना प्रीणीनाला से लेकर बिजली महादेव तक की है। उसके बारे में भी यहां कहा गया है कि 3041 हैक्टेयर भूमि इससे सिंचित की जायेगी और इसका खर्चा भी 39 करोड़ रुपये बताया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो बातें मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा। आपके उत्तर में विरोधाभास है। अभी-अभी आपने कहा कि ये सब योजनाएं सारे एस्टीमेट्स बनाकर हाई पावर कमेटी से रिक्मेंड करवाकर भेज दी गई हैं और आप अपने ही उत्तर का "ग" भाग पढ़ें। उसमें यह लिखा गया है कि यह जो प्रीणीनाला वाली योजना है यह भी उस कमेटी ने भेजी थी। लेकिन यह इतनी

बड़ी योजना है जिसमें स्टैक की अनुशंसा आवश्यक थी, इसलिये यह लौटी है। आप कह रहे हैं कि भारत सरकार ने विलम्ब किया है। आप अधूरे पेपर बार-बार भेजते रहे हैं और आज भी आपने यह कहा है कि प्रीणी की योजना अभी भी आपके पास लम्बित पड़ी है। यह

02.03.2017/1140/SS-DC/2

आपने स्वीकार किया है। आप वर्ष के अंत में ही भेजेंगे तो इस साल का पैसा तो गया। मार्च महीना आ गया, तो यह जो लॉस होगा वह हिमाचल को लॉस होगा। यहां आपके अधिकारी वर्ग बैठे हैं ये सुनिश्चित करें कि सारी-की-सारी योजनाएं पूरे कागज़ कम्प्लीट कर कम-से-कम इसी मास में भेज दें, नहीं तो इस साल का बजट लैप्स हो जायेगा।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी। --(व्यवधान)-- पहले मंत्री जी को जवाब तो देने दीजिये।

Health & family Welfare Minister:- Let me make things clear about Prini to Bijli Mahadev Medium Irrigation scheme. Regarding the status of the DPR of the Medium Irrigation Project from Prini to Bijli Mahadev in Tehsil and District Kullu, for the probable cost of 390.85 crore with the CCA of 3041.40 hectare, is under process in the Zonal office of the State Technical Advisory Committee, after approval of the STAC. एस0टी0ए0सी0 ने एप्रूव कर दी है लेकिन स्टेट टैक्निकल एडवाइजरी कमेटी के पास है। DPR will be submitted to the Government for the approval of Technical Advisory Committee of Ministry of Water Resources and Rural Development, New Delhi. The detail of DPRs, submitted to Government of India for approval and proposal of release of Central assistance is "Annexure A". ---(व्यवधान)--- Sir, one thing, let me make it clear. ---(Interruption)--- एक मिनट सुनो, मेरा अभी जवाब रह गया है। सर, जहां से यह पानी जाना है, the water source is in dispute. Some of the Members and Panchayats have also raised objection that we will not allow this water to be taken over to Bijli Mahadev. The

State Government is trying its best to persuade the people that this is for the benefit of the whole Community, for the chunk of the area और महेश्वर सिंह जी जो हैं, लगता है कि इन्होंने बहकाया हुआ है।

महेश्वर सिंह जारी श्रीमती के0एस0

02.03.2017/1145/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्या-3678 जारी...

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसके बारे में ऑब्जैक्शन्ज़ है तो फिर ऑब्जैक्शन होते हुए भेजी कैसे गई? यह तो पहले देखा जाता है कि कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए जो ऑब्जैक्शन्ज़ आए हैं, क्या आप उसकी सारी प्रतिलिपि इस सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगें? दूसरे, आप उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगें जिन्होंने बिना स्टैक की अनुशंसा के पहले ही योजनाएं भेजी, इसका क्या कारण है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (प्राधिकृत)ः अध्यक्ष महोदय, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जैक्शन्ज़ जो हैं, हमेशा बाद में ही आते हैं। सर्वे होता है, लोगों को पता नहीं लगता। जब स्टेट लैवल सैंक्शनिंग कमेटी ने इसको सैंक्शन दे दी, स्टेट लैवल टैक्निकल एडवाईज़री कमेटी के पास गई उस वक्त ऑब्जैक्शन आए। हमने यह स्कीम भारत सरकार को भेजी थी। भारत सरकार ने कहा कि स्टेट लैवल टैक्निकल एडवाईज़री कमेटी है, उससे भी इसको एग्ज़ामिन करवाओ। तो यह स्कीम still under the process of examination.

Speaker: Next Question. ---(interruption)--- No, its enough now . You can't go ahead with the same question for such a long time. ---(interruption)--- Please, sit down. Time is less and we cannot go ahead with this question. It will be difficult for us ---(interruption)--- . So far we have

finished with one question only. You should also cooperate. We cannot discuss one question for one hour. ---(interruption)--- No, please, I will go ahead with the next question. This is too much we have been doing it for the last half an hour. (व्यवधान) आधा घण्टा हो गया है।

02.03.2017/1145/केएस/डीसी/2

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रश्न है और मंत्री जी ने हाऊस को मिसलीड किया है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है। (व्यवधान)

Speaker: This is unending if you go on discussing for one hour only for one question. You should be brief in asking the Question. ---(interruption)--- There are also other methods to ask. You can write a letter regarding the details of this scheme because Question Hour is not meant for one question only. Please. ---(interruption)--- . Ok I will allow you but you should understand that we are going too far for one question only.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, एक तो जो माननीय मंत्री महोदय ने मुझे कन्फ्यूज्ड कहा, मैं कहना चाहूंगा कि जो सूचना आपने दी है इसमें ऐसी कोई सूचना नहीं है। जो मैंने सप्लीमेंट्री की है, मैंने वह बहुत सोच-समझ कर की है। जो आप हैक्टेयर के बारे में कह रहे हैं, इस सूचना में कहीं हैक्टेयर का नहीं लिखा है और न ही नम्बर ऑफ स्कीम्ज़ लिखा है। एक तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि यहां पर सारे डॉक्युमैंट्स पड़े हुए हैं। इसमें हैक्टेयर्ज़ और नं0 ऑफ स्कीम्ज़ कहां लिखा है? जो आपने मुझे कन्फ्यूज्ड कहा, मुझे तो लगता है कन्फ्यूज़ तो सारी की सारी सरकार हो गई है? दूसरे, जो ये सात योजनाएं यहां पर मिडियम इरिगेशन प्रोजैक्ट्स हैं, ये AIBP के अन्तर्गत जो भारत सरकार को भेजे गए, उसके ऊपर न सरकार ने और न विभाग ने गौर फरमाया जो कि सही मायने में यहां पर

काम करना चाहिए था और इस बात को आपने माना भी है कि जो अधिकारियों की टीम है काम करने वाली, STAC की कमेटी ने अप्रूवल नहीं दी और बिना अप्रूवल के वह आपने भारत सरकार को भेज दी। वह तो निश्चित तौर पर वापिस आनी ही है। उनको भारत सरकार कैसे अप्रूव करती, आप बताएं जब आपने सारे डॉक्युमैंट्स अधूरे भेजे हैं? एक बात और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि स्वां नदी का एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है। आप जब गलत काम करेंगें तो भारत सरकार के ध्यान में तो बात आएगी ही। जो सारे का सारा पैसा 928 करोड़ रुपया वहां पर सैंक्शन हुआ, वह जिस एरिया के लिए सैंक्शन हुआ

02.03.2017/1145/केएस/डीसी/3

था, वहां पर तो आपने शिलान्यास करवाया नहीं, कहीं दूसरी जगह जाकर शिलान्यास करवा दिया। तो भारत सरकार आंखे बन्द करके तो बैठी नहीं है। वह देख रही है कि प्रदेश सरकारें क्या-क्या कर रही हैं। वे पैसे अगर आपने ठीक युटिलाईज़ किए होते तो आपको सारे के सारे पैसे मिलने थे। मुख्य मंत्री महोदय, यहां सारे का सारा गलत हो रहा है। आप ठीक जगह पर काम करवाएं तो सारे काम ठीक होंगें। नादौन का हमने शिलान्यास करवाया। फिनासिंह का शिलान्यास हमने करवाया। ये जो योजनाएं हैं, इनकी हमने डी0पी0आर्ज़0 बनवाई । ये सारी डी0पी0आर्ज़0 हमारे समय में हुई हैं। आपकी सरकार ने साढ़े चार साल में क्या काम किया है? STAC कमेटी से अप्रूवल लेनी है, वह भी आप ले नहीं पाए और यहां पर आप अधूरी सूचना दे रहे हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

2.3.2017/1150/av/ag/1

प्रश्न संख्या : 3678 क्रमागत----

Health & Family Welfare Minister: I think they are sadly mistaken. ऐसा है, इन्होंने कहा कि स्वां नदी का प्रोजैक्ट 928 करोड़ रुपये का सैंक्शन हुआ है जबकि स्वां नदी का प्रोजैक्ट 922 करोड़ रुपये का है। हमने उसमें अपना पैसा भी खर्च कर दिया but

the Government of India refused to give any money. Let me make it clear to this Hon'ble House. The Government of India has backtracked.
उन्होंने कहा कि अब हम अपना पैसा नहीं देंगे। जब हमने उसमें अपना पैसा लगा दिया है तो कम-से-कम भारत सरकार (---व्यवधान----) एक मिनट पहले मुझे सुनिए। आप (श्री रविन्द्र सिंह) पोलिटिक्ल भाषण दे रहे हैं। (---व्यवधान----) हमने उस प्रोजैक्ट में अपना पैसा लगाया with the understanding that Government of India will give it back लेकिन अभी केंद्र की एन0डी0ए0 सरकार ने कहा कि हम स्वां नदी का पैसा वापिस नहीं देंगे।

दूसरे मैं एक बात क्लीयर करना चाहता हूं कि the first meeting of State Level Sanctioning Committee was held on 15th January, 2016 under the Chairmanship of Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh and this meeting conveyed to Government of India by Director, Agriculture who is the Member Secretary of that Committee. Accordingly, as per the guidelines of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (PMKSY), proposal of approved schemes of SLSC alongwith minutes of the meeting were sent to the Secretary, Water Resources to the Government of India vide Additional Chief Secretary (IPH) letter dated 11th February, 2016 for release of central assistance, but no approval/central assistance has been received from the Government of India till today.

Similarly, thereafter, the schemes which were meant for 2015-2016, these were carry forward for 2016-2017 by the State Government, but till today not even a single scheme has been sanctioned by the Government of India in spite of our best efforts. DPR is complete. Only one scheme was returned by the

2.3.2017/1150/av/ag/2

Government of India that this scheme must be scrutinized by the State Level Technical Advisory Committee i.e. Prini-Bijlimahadev Scheme. In other

scheme, there was no objection. There was no reply from Government of India. There was no objection from the Government of India. So, the Government of India should sanction the money. Time and again they say that DPRs are not being sent to the Government of India. Government of India is ready to give funds. But Government of India has failed to give any money or any sanction of any scheme for Government of Himachal Pradesh. (Interruption)

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मान्य सदन को मिसलीड कर रहे हैं। (---व्यवधान----)

Speaker: Please. He is giving information. (Interruption) Next Question, Dr. Rajiv Saijal. (Interruption) Please. No, no. No more. अगला प्रश्न श्री राजीव सैजल जी करेंगे। : (---व्यवधान----) आप लोग बैठिए। It is too much. You see we have taken too much of time.

प्रश्न संख्या: 3679

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, सूचना सभापटल पर रख दी गई है।

2.3.2017/1150/av/ag/3

श्री महेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी इस हाउस को मिसलीड कर रहे हैं इसलिए हम सदन से वॉकआउट करते हैं।

(विपक्ष के सभी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गये।)

Speaker: This is not a proper thing. You can't hear the reply of a Minister. This is wrong. (Interruption)

मंत्री जी जारी श्री वर्मा द्वारा

02/03/2017/1155/टी0सी0वी0/ए0जी0/1

उद्योग मंत्री: आपने 922 करोड़ रूपये का प्रोजैक्ट रूकवा दिया। -(व्यवधान)- बाकी पैसा नहीं मिल रहा है। सारे-का-सारा पैसा यहां पर स्टेट ने लगा दिया है। ये केन्द्र में जाकर हमारा सारा पैसा रूकवा रहे हैं और हिमाचल का पैसा लगवा रहे हैं। -(व्यवधान)-

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि विपक्ष, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने मिस्लीड किया है। I challenge them to move a Privilege Motion against me if I have given wrong information. Whatever information I have given, I have given it on factual position. ये बार-बार जाते हैं और अखबारों में कहते हैं, केन्द्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन प्रदेश सरकार पैसा नहीं ले रही है। प्रदेश सरकार डी0पी0आरज0 नहीं भेज रही है। हमने केन्द्र को बहुत सारी डी0पी0आरज भेजी है और बाकायदा हर प्रोसैस से गुजर कर गई है। अगर केन्द्र सरकार को कोई ऑब्जैक्शन होता तो वह स्कीम/डी0पी0आर0 को आब्जैक्शन लगा कर वापिस भेज देते, लेकिन आज तक सिर्फ एक डी0पी0आर "बिजली महादेव" की उन्होंने वापिस भेजी है, उसको हम टैक्निकल एडवाइजरी कमेटी से प्रोसैस करके फिर भेज देंगे। लेकिन इस हाऊस को गुमराह करना इनकी (विपक्ष) आदत/फिदरत है। इसलिए मैं इस बात को साफ-साफ कहना चाहता हूं कि I challenge them, ये रिकॉर्ड सारा विधान सभा के पास है। हमने एक-एक स्कीम का नाम, उसमें कितना पैसा खर्च होगा, कितना कमाण्ड एरिया उससे इरिगेट होगा, ये सारे-का-सारा ब्योरा उसमें दिया है। पहले ऑब्जैक्शन लगा दिया कि यह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कैसे चला गया? जब प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है और इरिगेशन डिपार्टमैंट उसकी

डी0पी0आर0 तैयार करता है, तो इसमें इनको क्या तकलीफ़ है। इनको तकलीफ़ तो तब होती अगर हमने गलत डी0पी0आरज भेजी होती और केन्द्र से आब्जेक्शन लगकर वापिस आई होती। केन्द्र सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। इसके बारे में दो बार हमारे एडिशनल चीफ़ सेक्रेटरी ने पत्र लिखे और दिल्ली में जाकर भी मिले। स्वां नदी प्रोजैक्ट में हमने अपने स्टे्ट बज़ट से पैसा खर्च किया है with the understanding that Government of India will reimburse it, but Government of India has refused. केन्द्र सरकार कहां हमारी मदद कर रहा है? Government of India has refused and has not helped Himachal Pradesh at all. That is our allegation.

02/03/2017/1155/टी0सी0वी0/ए0जी0/2

Speaker: Now, we proceed with the Questions. Very little time is left.

प्रश्न संख्याः 3680

श्री राकेश कालियाः सर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपने सूचना दी है, उसमें 9,000 से अधिक इम्प्लाईज़ लुमिनस उद्योग में लगे हुए हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उसमें से कितने इम्प्लाइज़ हैं जो ठेकेदार के अंडर काम कर रहे हैं, अगर वह संख्या इसमें शामिल नहीं है, तो वह संख्या बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी ये भी बताने की कृपा करें कि जो लेबर आप ठेकेदार के अंडर लगाते हैं, क्या कंपनी उनको भी अंडर टेक करेगी? क्योंकि ठेकेदार लेबर का शोषण करते हैं, इसलिए मैं ये जानकारी माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे मंत्री जी ने बताया कि कंपनी ने 9,747 लोगों को रोज़गार दिया है और यह पांच युनिट इनके विधान सभा क्षेत्र में चला रहे हैं। इनमें लगभग 7906 हिमाचली है और 1841 गैर-हिमाचली है। जहां तक इन्होंने कहा कि कितने लोग ठेकेदार के माध्यम से रखे गये हैं? ये सूचना मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है, इसे बहुत जल्द माननीय सदस्य को उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

02/03/2017/1155/टी0सी0वी0/ए0जी0/3

प्रश्न संख्याः 3681

श्री जय राम ठाकुरः अनुपस्थित

प्रश्न संख्याः 3682

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः अनुपस्थित

02/03/2017/1155/टी0सी0वी0/ए0जी0/4

प्रश्न संख्याः 3683

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि पिछले टन्योर में इन्होंने इस हैलीपैड को बनाने के लिए पूर्ण धनराशि दी थी। लेकिन पिछली सरकार ये धनराशि कहीं दूसरे कार्य के लिए ट्रांस्फर कर दी थी, ये कितनी धनराशि थी? इस हैलीपैड को बनाने के लिए जो 1.50 लाख रूपये की धनरशि की आवश्यकता है, क्या उसे अगले फाईनेशियल ईयर में निश्चित रूप से जारी कर दिया जाएगा?

श्रीमती एन0एस0---- द्वारा जारी ।

02/03/2017/1200/ एन0एस0/ए0एस0 /1

प्रश्न संख्याः 3683 -- क्रमागत

Chief Minister: Mr. Speaker, Sir, an estimate of Rs. 157.13 lakh has been received from Deputy Commissioner, Chamba, for the construction of the helipad. Funds would be provided in the next financial year.

प्रश्नकाल समाप्त

02/03/2017/1200/ एन0एस0/ए0एस0 /2

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होगा। अब श्री महेश्वर सिंह जी नियम-62 के अंतर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय शहरी विकास मंत्री जवाब देंगे।

Please, there is no question now. ...(Interruption)...Please, sit down. I am requesting you to sit down. This is not the time. This is time to discuss Rule-62.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न वर्ष 2014 से चल रहा है। आप यह सुनकर हैरान होंगे कि दिसम्बर 2014 के विंटर सैशन में मैंने प्रश्न दिया था और तब से लेकर आज तक हर सैशन में सूचना एकत्रित की जा रही है। दो बज़ट सैशन, तीन विंटर सैशन और दो मानसून सैशन निकल गए। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना था कि 01 जनवरी, 2013 से 31 अक्तूबर, 2014 तक मुख्यमंत्री जी ने और मंत्रियों ने कितने प्रवास दिल्ली के किए हैं? उनकी सूचना दी जाए, उनके प्रवास का क्या उद्देश्य था और उसमें कितना खर्चा आया है? इसकी सूचना दी जाए। बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार अपने ही एक वर्ष के दौरों की सूचना अढ़ाई सालों में भी एकत्रित नहीं पाई है। वर्ष 2014 का प्रश्न आज वर्ष 2017 में भी

लगा है और आज भी सरकार यही कह रही है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। फिर क्यों यह विधान सभा सत्र और प्रश्नकाल चलते हैं?

Speaker: We will find out the reason for that.

श्री रणधीर शर्मा : सर, हम कहां बात करें? आप सरकार से कारण पूछिए। अध्यक्ष महोदय, कारण तो आपने पूछना है।

अध्यक्ष : मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है। (-व्यवधान-) मैं कारण पूछूंगा।

श्री रणधीर शर्मा : सर, आप हमें बोलने ही नहीं देते हैं। सरकार का यह हाल है। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि अभी स्कीमों में पैसा नहीं आया है और मुख्य मंत्री जी तो शिलान्यास कर आए। तब मैंने सप्लीमैंटरी पूछी और आपने मुझे बोलने नहीं दिया।

02/03/2017/1200/ एन0एस0/ए0एस0 /3

अध्यक्ष : आप अभी भी तो बोल रहे हैं। (-व्यवधान-)

श्री रणधीर शर्मा : सर, तीन-तीन साल से प्रश्न का जवाब नहीं आता है। आप फिर भी बोलने नहीं दे रहे हैं। सर हम कहां जा करके बोलें? मुख्य मंत्री जी मेरे विधान सभा क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर भी मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। (-व्यवधान-) जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसकी सूचना तीन-तीन साल तक नहीं मिलती है। (-व्यवधान-) आज मार्च 2017 तक भी मेरे प्रश्न की सूचना नहीं आई है।

अध्यक्ष : मैं आपके वर्ष 2014 के प्रश्न का अभी कहां से जवाब दूं। Let me enquire. मुझे पता करने दीजिए कि इसका क्या कारण रहा है?

श्री रणधीर शर्मा : आज यही प्रश्न अतारांकित में लगा हुआ है और आज भी यही कहा जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है।

अध्यक्ष : आपके पास जवाब आ जाएगा।

श्री रणधीर शर्मा : सर, कब जवाब मिलेगा, अढ़ाई वर्ष तो हो गए। हमें उसका जवाब सदन में चाहिए।

अध्यक्ष : अतारांकित प्रश्न का जवाब मिल जाता है।

श्री रणधीर शर्मा : आप सुनिश्चित तो करवाईए कि इस बज़ट सत्र में जवाब आ जाए। (-व्यवधान-) सर, आप सरकार से ऐश्योर तो करवाईए। अगर यहां पर सूचना ही नहीं मिलेगी तो हम यहां आ करके क्या करेंगे? सर, मेरे प्रश्न के तीन साल हो गए लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला।

अध्यक्ष : मैं पता करूंगा कि आपको अभी तक जवाब क्यों नहीं मिला है? (-व्यवधान-)

श्री रणधीर शर्मा : सर, मुख्य मंत्री महोदय बैठे हैं, आप इनसे पूछिए।

02/03/2017/1200/ एन0एस0/ए0एस0/ 4

अध्यक्ष : इसका मैं कारण पूछूंगा।

श्री रणधीर शर्मा : सर, आज सदन में लगा है आप रीज़न पूछिए।

Speaker : I can't ask off hand.(Interruption)..

श्री रणधीर शर्मा : सर, ऑफहैंड क्या होता है?

Speaker : This is not the procedure. मैं इनसे पता करूंगा।

श्री रणधीर शर्मा : सर, फिर इस सदन में आने का क्या फायदा है? आप हमें बोलने का मौका नहीं देंगे और हमारी बात को आप सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? (-व्यवधान) आप अभी मुख्य मंत्री जी से पूछिए।

अध्यक्ष : मैं अभी नहीं पूछ सकता हूं। There is no matter with me. मेरे पास क्या मैटर है?

श्री रिखी राम कौंडल श्री आर0के0एस0---- द्वारा जारी ।

02/03/2017/1205/RKS/AS-1

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इतनी देर से बड़े जोर से अपना विषय रखा You can give directions to the Government within this Session reply should be given to the House. It is your prerogative to give the directions of the House.

अध्यक्षः मैं तो आपको कह रहा हूं कि अतारांकित प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा।

श्री रिखी राम कौंडलः आप यह कह रहे हैं कि मैं पूछूंगा, पूछने का क्या प्रश्न है आप सरकार को आदेश दें कि इस सत्र में आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।

Speaker: I ask him to apply for the reply of the Question.

मुख्य मंत्रीः माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसको छिपाने की बात नहीं है इस सत्र के बाद आपको जवाब आ जाएगा (व्यवधान) I don't know. We will give it. I don't know why it has been delayed. यह कोई बड़ा भारी सीक्रेट नहीं है और न ही इसमें कोई

रॉकेट साइंस है। An appropriate reply will be given to the Hon'ble Member's question in this Session.

Speaker: I request every Hon'ble Member not to disturb what is going on the agenda. We are heading for Rule 62. Now, let him speak. Why should be any interruption in that. You want to ask something? क्यों आप करना चाहते हैं? This is not the time. इनको बोलने दीजिए फिर उसके बाद (व्यवधान) इनका नियम-62 लगा हुआ है। Let him read out. ...(interruption)...

02/03/2017/1205/RKS/AS-2

व्यवस्था का प्रश्न

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर विषय है और प्रदेश में विशेषकर अधिकारियों में जो आई.ए.एस. अधिकारी है उनमें पिछले 5-6 महीनों में काम करने की शैली में परिवर्तन आ रहा है (व्यवधान)...

Speaker: ...(interruption)... Not to be recorded. ...(interruption)...

Chief Minister: He is creating fraction among the bureaucracy. It is not your subject. You want to demoralize the bureaucracy. We will not tolerate it.

Speaker: This is not the subject of the Assembly. Please. This is not the matter to be discussed in the House. This is only the Government's matter. This is wrong. ...(interruption)... Not to be recorded. This is not the matter to be discussed here. This is the matter to be discussed in the Government.

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

02.03.2017/1210/SLS-DC-1

Hon'ble Speaker---Contd.

Not to be recorded ---(Interruption)---These are the Rules you are adhering to? You won't let your colleague speak --- (Interruption)--- महेश्वर सिंह जी, आप अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए।

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से दिनांक 18 फरबरी, 2017 को अमर उजाला समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार शीर्षक 'शहर में कुत्ते ने दौड़ाए लोग, आधा दर्ज़न अस्पताल पहुंचे' से उत्पन्न स्थिति की ओर शहरी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यंत खेद का विषय है कि कुत्तों द्वारा जो आतंक फैलाया जा रहा है उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि मैंने इस संदर्भ में पिछले सत्र में एक प्रश्न पूछा था। उसके उत्तर में मंत्री महोदय ने माना था कि इस प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या 44162 हो गई है और यह भी कहा था कि जो सारे-के-सारे लोग कुत्तों द्वारा काटे गए हैं, अस्पताल में उन सबको निशुल्क वैक्सीन प्रदान हुई है। यह बात सत्यता पर आधारित नहीं था क्योंकि इतने लोगों को वैक्सीन नहीं लगी। लेकिन फिर दूसरे प्रश्न के 'ख' भाग में आपने उत्तर दिया कि इस प्रदेश में जो पशुओं की गणना हई है, जिनके साथ कुत्तों की भी हुई है जो 2012 में हुई है, उसके अनुसार कुत्तों की संख्यार 65 हजार के लगभग बताई गई थी। अब वर्ष 2017 आ गया है और निश्चित रूप से अब कुत्तों की संख्या 2,00,000 हो गई होगी। आज स्थिति इतनी भयावह है कि चाहे आप

मॉलरोड में जाइए या किसी दूसरे स्थान पर जाइए, आपको कुत्ते-ही-कुत्ते नज़र आएंगे। यहां तक कि विधान सभा में जो हमारा आवास है, यहां दिन को बंदर चैन नहीं लेने देते और रात को कुत्ते सोने नहीं देते, सारी गैलरी में कुत्ते बैठे रहते हैं। यह कोई मज़ाक का विषय नहीं है। मंत्री जी इसका उत्तर देंगे, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए।

02.03.2017/1210/SLS-DC-2

(माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

यह बात अनेकों समाचार-पत्रों में भी छपी है और यहां सदन के अंदर भी उठी तथा बाहर भी इसके बारे में चर्चा हुई है। लेकिन आप इसको कंट्रोल करने में बुरी तरह असफल रहे हैं और यह बिल्कुल स्पष्ट बात है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि छः मास पूर्व जी०टी०वी० चैनल वाले एक साक्षात्कार ले रहे थे। उस समय मॉलरोड में 35 साल की एक महिला को कुत्ते ने काटा और बुरी तरह से खदेड़ा। उसके बाद अख़बार में भी ये सारी बातें छपीं। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने यह बातें उठाई। चैनल ने भी यह पूरी स्टोरी दी कि कुत्तों की हालत इस प्रकार से है। अगर आप मॉलरोड में जाएं और सर्दियों में दिन के समय जाएं तो ऐसा लगता है कि यह कुत्तों की आरामगाह है न कि रिज मैदान है। वहां लगातार कुत्ते पड़े रहते हैं और लोगों को खदेड़ते रहते हैं। 18 फरबरी की इस घटना के बाद एक कुत्ता विधान सभा आवास के नज़दीक घर में घुसा और उसने एक आदमी को लहूलुहान कर दिया। वह बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। यही नहीं, उसी दिन यह घटना 3-4 जगहों पर घटित हुई है। महोदय, जहां तक शिमला की बात है, हर जगह पर अभी इस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं। आज आप मनाली जाएं तो वहां जो सैरगाह बनी हुई है, वहां सर्किट हाऊस के साथ वी०आई०पी० एरिया में कुत्ते-ही-कुत्ते हैं। अगर वहां डंडा लिए बगैर जाएं तो मारे जाएंगे। वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन सरकार इस

वक्त ऐसे सोई हुई है जैसे कुंभकर्ण की नींद हो। पता नहीं आप कब जागोगे। यह मज़ाक की बात नहीं है। आपको तब पता लगेगा जब कुत्ता आपको काटेगा।

जारी ..श्री गर्ग जी

02/03/2017/1215/RG/DC/1

श्री महेश्वर सिंह----क्रमागत

उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कि मुख्य मंत्री जी के ओ.एस.डी. को दिन-दिहाड़े कुत्ते ने काटा और वे कई दिनों तक लाठी लेकर चलते रहे और उनके पेट में कई इन्जैक्शन्ज लगे। फिर भी आप नहीं चेते, नहीं जागे। इसलिए यह हालत पैदा हुई है। अतः अब मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इसका सन्तोषजनक जवाब देंगे और इस समस्या का क्या हल निकाला है उसके बारे में यहां पर प्रकाश डालेंगे। विभिन्न समाचार-पत्रों में समाचार छपने के बावजूद और यहां बार-बार इस विषय को उठाने के बावजूद आप तो सो रहे हैं और आपके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, लेकिन अब मुझे विश्वास है कि आप यहां इसका सन्तोषजनक जवाब देंगे।

समाप्त

02/03/2017/1215/RG/DC/2

उपाध्यक्ष : अब माननीय शहरी विकास मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

शहरी विकास मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी ने जो नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यहां रखा है जोकि दिनांक 18 फरवरी, 2017 को शिमला में घटित घटना और इस सन्दर्भ में 'अमर उजाला' समाचार-पत्र में दिनांक 18-2-2017 को 'शहर में कुत्ते ने दौड़ाए लोग आधा दर्जन अस्पताल पहुंचे " के अन्तर्गत छपी खबर से उत्पन्न हुई स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन को एवं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि दिनांक 18 फरवरी, 2017 को जो यह समाचार प्रकाशित हुआ है इसके अन्तर्गत जो वस्तुस्थिती है उसकि इनूसार उस दिन उपरोक्त तारीख को कुत्तों द्वारा लोगों को काटने से सम्बन्धित कोई भी शिकायत किसी के द्वारा भी नगर निगम, शिमला में दर्ज नहीं करवाई गई। हालांकि नगर निगम, शिमला की इस बारे में एक हैल्प लाईन है जोकि आवारा कुत्तों और बन्दरों द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई उत्पात किया जाता है या किसी को काटा जाता है, तो उसके लिए पूरी तरह से डेडीकेटिड है जिसका नंबर 1916 है। तो वहां इस प्रकार की किसी भी घटना की कोई सूचना किसी ने नहीं दी। हालांकि दिनांक 17 फरवरी, 2017 को शिमला शहर में 18 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, शिमला में कुछ मामले गए थे। उनमें 9 मामले आवारा कुत्तों के काटने के, 5 मामले पालतू कुत्तों के काटने के व बन्दरों द्वारा 4 लोगों को काटने के मामले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दिनांक 23-03-2013 को प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने नगर निगम, शिमला को ये निर्देश दिए थे कि आप तीन महीने में सारे आवारा कुत्तों को शहर से खत्म कर दें। लेकिन जब यह फैसला आया, तो उसके बाद कुछ एन.जी.ओज और सिविल सोसायटी के लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के उच्च न्यायालयों को ये निर्देश दिया कि जो "प्रिवेंन्शन ऑफ एनिमल क्रूएलिटी एक्ट,1960 व डॉग रूल 2001" हैं उनके चलते किसी भी प्रदेश का उच्च न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और यह मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बावजूद जहां तक शहरी निकाय हैं या नगर निगम, शिमला का जहां तक सवाल है, अभी वर्ष 2006 में जिस स्ट्रे डॉग बर्थ कंट्रोल सोसायटी का गठन हुआ था, उसने

02/03/2017/1215/RG/DC/3

वर्ष 2006 से लेकर 31 जनवरी, 2017 तक 8523 आवारा कुत्तों की स्टरलाईजेशन और वैक्सीनेशन की है। प्रदेश में जो शिमला व अन्य शहर या ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें हमारा पशु पालन विभाग इस प्रकार की वैक्सीनेशन प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चलाता है।

एम.एस. द्वारा जारी

02/03/2017/1220/MS/AG/1

शहरी विकास मंत्री जारी----------

और वर्ष 2016-17 तक के अभी तक के सभी जिलों के जो आंकड़े हैं उसमें टोटल 16 हजार 820 स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन के केसिज आए हैं। जहां तक आपने बात की कि वर्ष 2012 का जो सैंसिज हुआ था उसमें आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ी है। मैं यह बताना चाहता हूं कि पशु पालन विभाग के जो आंकड़े हैं उसमें यह पाया गया है कि हर पांच वर्ष के बाद जो सेंसिज होते हैं उनमें आवारा कुत्तों की संख्या में कमी आ रही है। वर्ष 2008 के सैंसिज के अनुसार 2 लाख 8 हजार 264 इनका आंकड़ा था और अब वर्ष 2012 के सेंसिज के अनुसार यह आंकड़ा 1 लाख 75 हजार रुपये रह गया है। यानी 17 फीसदी की उसमें कमी आई है। अभी इस वर्ष सेंसिज होने हैं। मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार हम इनकी केवल स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन ही कर सकते हैं और वही इसका एक माध्यम माना गया है क्योंकि आप इस प्रकार से इनकी कलिंग भी अलाऊ नहीं कर सकते हैं या जैसे पहले खाने में कुछ मिलाकर उनको दे दिया जाता था वह भी रोक लगने के बाद अब बन्द हुआ है। मेरा मानना है कि यही एक प्रोसैस है और लम्बे समय से आहिस्ता-आहिस्ता इनकी आबादी में कमी भी आ रही है। दूसरा, शिमला में ही जिस समय हाइकोर्ट का यह निर्णय आया कि शिमला म्युनिसिपल कारपोरेशन में डॉग हाऊस होना चाहिए वह पांजड़ी में बनाया गया जिसके निर्माण पर 80 लाख रुपये की लागत आई। उसके बाद फिर ये निर्देश आए क्योंकि एन0जी0ओ0 फिर कोर्ट चले गए कि इसके अंदर अगर कुत्तों को रखा जाएगा तो उनका रख-रखाव ठीक से नहीं होगा तो उसके ऊपर भी प्रतिबन्ध लग गया। सरकार ने और नगर निगम ने समय-समय पर जो भी ठीक कदम उठाए जाने चाहिए, उठाए हैं ताकि स्थानीय लोगों को इस प्रकार की घटना से दो-चार न होना पड़े। जब तक मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित है हमने ये दिशा-निर्देश दिए हैं कि जितने भी शहरी निकाय प्रदेश के अंदर हैं यानी जो ऐक्ट के अंदर प्रावधान है कि किसी के घर में पालतू जानवर चाहे कुत्ते हों, बिल्ली हों या अन्य कोई जानवर हों, इनका पंजीकरण दो महीने के अंदर-अंदर

02/03/2017/1220/MS/AG/2

करें क्योंकि स्वयं स्टाफ की कमी रहती है तो आउटसोर्सिंग करके किसी एजेंसी के द्वारा उसको पूरा करे ताकि ये पता चल जाए कि पालतू जानवर कौन है और आवारा कौन है।

जहां तक आवारा कुत्तों का सवाल है जैसे मैंने आपसे कहा कि वैक्सीनेशन और स्टरलाइजेशन चल रही है और जब यह प्रक्रिया की जाती है तो जानवर के कान के पास एक मार्क लगा दिया जाता है जिससे पता चल जाता है कि इसकी स्टरलाइजेशन हुई है और एंटी-रैबिज इसका ट्रीटमैंट हुआ है ताकि गलती से यदि ये किसी को काट ले तो उससे किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान न हो। इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। शिमला में ही एक डॉग कैचिंग वैन भी रखी है ताकि यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आती है कि कहीं पर ऐसे कुत्ते पाए गए हैं तो उस वैन में एक ड्राइवर और छः ट्रेंड पर्सन भी रखे हैं। वे वहां से उनको एकदम से लाकर अगर पहले उनका उपचार नहीं हुआ होता है तो उपचार करते हैं। यह भी उसी तरह की एक गम्भीर समस्या है जैसे लोग सड़कों पर गायों को छोड़ देते हैं लेकिन इनकी आबादी में कमी आई है क्योंकि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम युद्ध-स्तर पर चल रहा है। अभी भी 6 मार्च से लेकर 10 मार्च तक पूरे प्रदेश के अंदर जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें भी और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी पशु पालन विभाग के साथ मिलकर यह ड्राइव चलाई जाएगी क्योंकि यह इनका मीटिंग सीजन होता है तो इससे पहले ही अगर वैक्सीनेशन हो जाए तो इनकी आबादी में कमी आएगी। निःसंदेह यह जो मामला ध्यान में लाया है यह समस्या शिमला में ही नहीं है बल्कि बाकी भी प्रदेश में जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उनमें भी यह समस्या उत्पन्न हुई है और उत्पन्न तब हुई जब ये एन0जी0ओज0 उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में चले गए और पूरे देश में रोक लग गई। ऐसे ही केरल के अंदर वहां की सरकार ने एयरगन्ज इशू कर दी थी और वहां के जो मुख्य सचिव थे उनको उच्चतम न्यायालय में तलब किया गया था कि जब तक हमारा फैसला सुरक्षित है,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

2.3.2017/1225/जेके/एजी/1

शहरी विकास मंत्रीः---जारी------

जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ निर्णय नहीं लेता तब तक इस तरह का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। इसका अभी तक एक ही प्रावधान है कि हम लोग इसकी स्टरलाईजेशन और वैक्सिनेशन उच्च स्तर पर करें जिसके लिए प्रदेश सरकार कृत्तसंकल्प है। मैं समझता हूं कि जहां पर भी ऐसा मामला आता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है और पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि इस कार्यक्रम को और गति दी जाए ताकि भविष्य में ऐसे मामले कम से कम हो।

2.3.2017/1225/जेके/एजी/2

श्री महेश्वर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं मंत्री जी का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने बड़ा विस्तृत उत्तर दिया है लेकिन एक कहावत चरितार्थ होती है कि खोदा पहाड़, निकला चूहा। आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि cruelty to animals न हो और किस गंदगी से आपका जो डॉग हाऊस था, वह भरा पड़ा था और आपने स्वयं इस माननीय सदन में अभी कहा कि शर्त यह है कि उसे साफ-सूथरा रखें और कुत्तों की सेवा हो। आपने यह अभी कहा और कोई स्टे नहीं है, इन पर कार्रवाई करने का कोई स्टे नहीं है। स्टरलाईजेशन का कोई स्टे नहीं है। मान लो अगर कोई कुत्ता पागल हो गया उसको क्या वर्मिन घोषित नहीं करोगे? वह काटता रहेगा और हम उसके सामने लेटे रहें? वर्मिन आपने बन्दर घोषित किया था जिसके साथ धार्मिक आस्थाएं थी। यहां पर कौन सी धार्मिक आस्था आ गई? कुत्ते काटते रहे और हम मूक दर्शक बनते रहें, यह नहीं चलेगा। आपने यहां पर कहा कि अब गणना के मुताबिक कुत्ते घटे हैं। यह सत्यता नहीं है। बन्दरों के बारे में मंत्री जी यहां तक बोलते थे कि इन्होंने यह भी गिन लिए थे कि बन्दर कितने और बन्दरियां कितनी है? यह बड़ी

आश्चर्यजनक बात है। किसने ऐसी गिनती की मुझे नहीं मालूम । आपने वर्ष 2012 में इसकी गणना बताई थी। अभी यह गणना वर्ष 2017 में डियू है। आपने कुत्तों की गणना की है और आपने 1 लाख 75 हजार के आस-पास बताए हैं। उस वक्त का प्रश्न 1 जनवरी से अक्तूबर, 2016 तक का था। तब यह संख्या बताई थी। क्या उसके बाद आपने गणना करवाई जो आपने इस माननीय सदन में ये आंकड़ें रखे? आपने वर्ष 2017 में कोई गणना नहीं करवाई है। अगर करवाई है तो यहां पर बात को स्पष्ट किया जाए। दूसरी बात, मैं अब बिन्दू आपके सामने रख दूंगा और आप इन बातों पर विचार कर लें कि क्या शहरी क्षेत्रों में निरन्तर बढ़ती कुत्तों की संख्या की दृष्टि से उनकी नसबन्दी का अभियान छेड़ा गया है? अभी आपने बताया कि अभियान छेड़ा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नसबन्दी कब-कब करवाई उन सारे आंकड़ों को यहां पर रखा जाए?

2.3.2017/1225/जेके/एजी/3

कब गणना करवाई वह भी रखें? यह कोई मज़ाक की बात नहीं है। काश! जो कुत्ते प्रेमी है अगर उनको भी किसी दिन कुत्ता काटेगा तब उनको पता लग जाएगा कि क्या हालत होती है इसलिए cruelty to animals should not be there क्या आपने कुत्तों के लिए कोई अच्छे घर बनाए हैं। क्या नसबन्दी के बाद कुत्ता नहीं काटेगा? वह क्या उसके बाद खुंखार नहीं रहेगा? क्या आपने इनके लिए कहीं पर ऐसे घर बनाए हैं, जहां पर इनके खान-पान की व्यवस्था हो, जहां इनकी सेवा-सुश्रुशा हो और भविष्य में यह संख्या न बढ़ें तो शत-प्रतिशत इनकी नसबन्दी करें । उसमें तो कोई रोक नहीं है? अगर आप नसबन्दी करके कहीं नाले में छोड़ देंगे, क्रुअल्टी होगी तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट पकड़ेगा। और क्या इनको आप वर्मिन घोषित करने की बात कहेंगे?

दूसरी बात यह है कि यदि कोई आदमी अपनी रक्षा के लिए कुत्ते को मारना भी चाहे तो वह किस चीज से मारे, क्या उसे डंडे से मारे? लाईसैंस मांगे तो पुलिस विभाग कहता है कि आपको किससे खतरा है जिसके लिए आपको लाईसैंस दिया जाए? कैसे बताएं कि कुत्ता कब काटेगा या हमें जंगली जानवर कब काटेगा? ये सारी की सारी बाते हैं। फिर

मज़ल लोडिंग गन जिसकी रीन्यूअल के 30 रूपए तीन साल के लगते थे, आज 1500 रूपए लगते हैं और कम्प्यूटर चार्चिज अलग से। उपाध्यक्ष महोदय, दाढ़ी से लम्बी मूंछ हो गई। मज़ल लोडिंग गन 1000,1100 में मिल जाती है और लाईसैंस रीन्यूअल में 1600 रूपए भरने पड़ रहे हैं। इन बातों पर विचार करिए ताकि लोग कुत्तों से ही नहीं बल्कि जंगली जानवरों से भी अपनी आत्म रक्षा कर सकें।

2.3.2017/1225/जेके/एजी/4

उपाध्यक्षः शहरी विकास मंत्री जी।

शहरी विकास मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि कुत्तों के लिए क्या आपने कोई घर बनाए हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा कि शिमला में एक डॉग हाऊस का निर्माण किया गया था।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

02.03.2017/1230/SS-AS/1

शहरी विकास मंत्री क्रमागतः

लेकिन उसके ऊपर भी उच्च न्यायालय में कुछ एन0जी0ओज़0 गये कि यह कुत्तों के फ्रीडम पर प्रहार है और इसको शुरू नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए वह डॉग हाउस शुरू नहीं हो सका। जहां तक आपने कहा कि Prevention of Cruelty to Animal Act, 1960, उसमें इस तरह का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। उसका रूल-7 कहता है कि आप कुत्ते को पकड़िये, स्टरलाइजेशन करिये, वैक्सिनेशन करिये और वहीं छोड़ दीजिये जहां से लाये हैं। उसको भी डॉग हाउस में नहीं रख सकते। यह ऐक्ट की भी बाइन्डिंग है। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि जैसे बंदरों को वर्मिन घोषित किया था वैसे ही कुत्तों को भी कर दिया जाए। जहां तक बंदरों को वर्मिन घोषित किया था, मुझे नहीं पता कि उसमें

कितने बंदर मारे गये। लेकिन कुत्ते लोगों के बीच और घनी आबादी में रहते हैं। जैसे आपने कहा कि वे रिज़ और मालरोड पर भी हैं। मान लीजिये उन्हें वर्मिन घोषित कर दिया और लोगों को लाइसैंस इश्यु कर दिये तो यह ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों का निशाना ठीक होगा और कुत्ते पर ही लगे। लेकिन जो वैक्सिनेशन और स्टरलाइजेशन के हमारे प्रयास हैं उनको ज्यादा गति दी जानी चाहिए। आपने कहा कि सैंसस कब-कब हुआ तो वह हर पांच वर्ष में होता है। 2003, 2007 और 2012 में हुआ तथा अब का सैंसस चल रहा है। जिसकी अभी रिपोर्ट आने को है। उससे वस्तुस्थिति पता चल जायेगी कि जो वैक्सिनेशन और स्टरलाइजेशन के प्रयास हुए हैं उससे कितनी कमी आई है। --(व्यवधान)-- उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के अंदर जो वैटरिनरी फार्मासिस्टस हैं उनके माध्यम से ये सैंसस पशुपालन विभाग करवाता है। अभी जो पिछले पांच वर्ष की सैंसस चल रही है उसका आंकड़ा अभी इसी वर्ष में आ जायेगा तो उससे मैं समझता हूं कि वस्तुस्थिति पता चल जायेगी। जो लोग काफी समय से शिमला में रहते हैं, आपने देखा होगा कि ज्यादातर अब छोटे पिल्ले देखने को नहीं मिलते और यह उसी का परिणाम है जो वैक्सिनेशन चल रही है। स्टरलाइजेशन के बाद इनकी संख्या में कमी आ रही है। जब तक यह सुप्रीम कोर्ट की बाइन्डिंग हमारे ऊपर है तब तक इनकी कलिंग या किसी प्रकार के लाइसैंस देना, मैं समझता हूं कि अभी हमारे

02.03.2017/1230/SS-AS/2

अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन आपने जो विषय उठाया है यह चिन्ता का विषय है और मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा कि जो अभी प्रयास चल रहे हैं उनको हम और गति देने का प्रयास करेंगे। **<u>जो शहरी निकाय हैं उनके अंदर हम सारा सैंसस दो महीने के अंदर-अंदर अप्रैल के अंत तक कम्प्लीट कर लेंगे ताकि कम-से-कम हमारे पास एक आंकड़ा हो कि आवारा और जो पालतू कुत्ते हैं उनकी संख्या में कितना फर्क है और अगर किसी का कोई पालतू कुत्ता किसी को काटता है तो उसकी लाइबिलिटी उसके ऊपर जाए। जहां तक आवारा कुत्तों की बात है, जो उसकी लाइबिलिटी है अगर उसकी</u>**

वैक्सिनेशन/स्टरलाइजेशन नहीं हो पाई तो उसके लिए जो विभाग के जिम्मेवार लोग हैं वे भी उसके लिए उतने ही जिम्मेवार होंगे जितना कि किसी का पालतू कुत्ता किसी को काटता है।

02.03.2017/1230/SS-AS/3

उपाध्यक्षः अब श्री गुलाब सिंह ठाकुर जी नियम-62 के अन्तर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 28 फरवरी, 2017 को पंजाब केसरी समाचार पत्र के जिला मण्डी में छपे अंक के शीर्षक "द्रुब्बल में घर से बकरियां चराने निकला युवक लापता" से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय इस प्रकार से है कि 27 तारीख को जो थाना रोपड़ू एक गांव है वह ब्यास और राणा खड्ड के बिल्कुल समीप है। अमूमन गांव के लोग वहां हमेशा अपने मवेशियों को चराने ले जाते हैं तो उस दिन यह मनोहर सिंह नामक युवक घर से 7-8 बजे नदी के किनारे बकरियां चराने चला गया। उस गांव में कोई ब्याह-शादी भी था और उसने कहा कि वह 9-10 बजे तक बकरियों को चराकर वापस ले आयेगा। जब वह 10 बजे तक घर वापिस नहीं आया तो उसके फादर ने उसके मोबाइल पर टेलीफोन किया। जब उसका टेलीफोन 'No Reply' हुआ तो वे चिन्तित हुए। सारे गांव के लोग वहां गए और उन्होंने देखा कि वहां बकरियां तो हैं लेकिन वह मनोहर सिंह युवक नहीं है। सारे उसे ढूंढने लगे और ढूंढते-ढूंढते एक ऐसी जगह पर आए जहां ढांक थी। उस ढांक पर कुछ निशान थे, उससे लगा कि शायद हो सकता है कि युवक नीचे दरिया में गिर गया हो क्योंकि वहां पानी का बहाव बहुत ज्यादा था।

जारी श्रीमती के0एस0

02.03.2017/1235/केएस/एएस/1

श्री गुलाब सिंह ठाकुर जारी----

जो मानसिंह प्रधान हैं, उन्होंने एस.डी.एम. को फोन किया। एस.डी.एम. ने जो हमारी वहां अग्निशमन की इकाई है, वह वहां भेजी, उसने भी देखा लेकिन उनको वहां पता नहीं लगा। वहां गोताखोरों की जरूरत थी। अगर गोताखोर वहां मौजूद होते तो वे उस डैड बॉडी को निकाल सकते थे लेकिन दो दिन की दहशत के बाद, उसी युवक का जूता ऊपर आकर तैरने लगा तब जाकर पता लगा कि वह वहीं पर है। आपदा प्रबन्धन की एक बहुत बड़ी इकाई प्रदेश में चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में है, पी.सी. के पास है, एस.डी.एम. उसके नोडल एजैंसीज़ है। तो आपदा प्रबन्धन के लिए गोताखोरों की जो एन.जी.ओज़. हैं, वे सभी सब-डिविजन्ज़ में गठित होनी चाहिए और खासकर मुख्य मंत्री जी आप तो खुद जानते हैं कि ब्यास नदी का किनारा जोगिन्द्र नगर चुनाव क्षेत्र को घेरे हुए हैं। एक तरफ ऊहल नदी है। हमारे वहां पर बड़े भारी जलाशय हैं। एक मछियाल है, दूसरी मछियाल है। तो वहां अमूमन दूसरे-तीसरे महीने डूबने की कोई न कोई घटना होती ही रहती है और कई-कई दिनों तक लाशें नहीं मिलती। कल तो एन.जी.ओज़. गए थे, उन्होंने उस लाश को निकाल लिया है और कल ही उसका दाह संस्कार भी हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं जब घटती है तो आपदा प्रबन्धन के लिए गोताखोर का एन.जी.ओ. जोगिन्द्रनगर में गठित करने के आप आदेश दें क्योंकि अमूमन वहां इस प्रकार की डूबने की घटनाएं होती रहती हैं। बाकी हम उस एन.जी.ओ. को बधाई देते हैं कि कल सुन्दरनगर से एन.जी.ओ. आया, उसने डैड बॉडी को निकाला और उसके बाद जो एक किस्म की गांव में दहशत फैली हुई थी, उससे छुटकारा मिला और उसका दाह

संस्कार भी हुआ। तो माननीय मुख्य मंत्री जी जब जवाब दें तो यह आश्वासन मैं इनसे चाहूंगा। धन्यवाद।

02.03.2017/1235/केएस/एएस/2

मुख्य मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गुलाब सिंह ठाकुर, माननीय विधायक द्वारा उठाए गए मामले के सन्दर्भ में अवगत करवाना चाहता हूं कि 27 फरवरी, 2017 को श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री किशन सिंह निवासी गांव रोपड़ू, डाकघर द्रुब्बल, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश ने थाना जोगिन्द्रनगर में उसके 35 वर्षीय भाई श्री मनोहर सिंह के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सभी नज़दीकी सम्भावित जगहों पर अगले दो दिन तक उसकी तलाश की। जब मनोहर सिंह का कोई पता न चला तो 1 मार्च, 2017 को गोताखोरों की सहायता से ब्यास नदी में, जहां युवक अक्सर अपनी भेड़-बकरियों को पानी पिलाया करता था, तलाश की गई। तलाशी के दौरान गोताखोरों को एक लाश मिली, जिसकी शिनाख्त करने पर वह लाश गुमशुदा युवक मनोहर सिंह की ही पाई गई। उप-मण्डल पुलिस अधिकारी, पधर ने भी मौके का दौरा किया। निरीक्षण करने पर लाश पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए। इस बारे में ग्राम पंचायत द्रुब्बल के प्रधान तथा मृतक के पिता के ब्यान भी लिए गए, जो मौके पर मौजूद थे। मृतक के पिता ने अपने ब्यान में अपने बेटे की मृत्यु के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की साजिश का शक जाहिर नहीं किया है। इस मामले में पुलिस द्वारा धारा 174 Cr.P.C. (दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अन्तर्गत कार्रवाई की जा रही है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए जोगिन्द्रनगर भेजा गया। अभी तक इस प्रकरण में कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं पाया गया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

2.3.2017/1240/av/dc/1

मुख्य मंत्री क्रमागत-------

जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि जोगिन्द्रनगर में काफी जलाशय हैं इसलिए वहां पर दो व्यक्ति जो कि गोताखोर हों; को तैनात किया जाए। इस बारे में विचार किया जायेगा।

2.3.2017/1240/av/dc/2

अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2016-2017

उपाध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुपूरक अनुदान मांगों ((प्रथम एवं अन्तिम किस्त)पर चर्चा होगी जो आज ही समाप्त होगी तथा मांगों पर मतदान भी आज ही होगा। उसके उपरान्त हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) भी पारित होगा। माननीय सदस्य इस पर होने वाली चर्चा में भाग ले सकते हैं।

अब वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुपूरक मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। सभा का समय बचाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री की ओर से सभी मांगें प्रस्तुत हुआ समझा जाए जो इस प्रकार से हैं :-

मांग संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा दत्तमत
1	2		3
1	विधान सभा	(राजस्व) (पूंजी)	3,80,66,000 82,13,000
2	राज्यपाल और मंत्री परिषद	(राजस्व)	6,60,63,000
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व) (पूंजी)	13,60,20,680 49,13,16,000
4	सामान्य प्रशासन	(पूंजी)	1,57,50,000
5	भू–राजस्व और जिला प्रशासन	(राजस्व) (पूंजी)	94,01,66,200 87,54,000
6	आबकारी और कराधान	(राजस्व)	2,14,04,666
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व) (पूंजी)	1,74,77,58,000 1,32,74,000
8	शिक्षा	(राजस्व) (पूंजी)	13,000 34,67,73,000
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	(राजस्व) (पूंजी)	48,000 2,07,50,59,000
10	लोक निर्माण–सड़क पुल तथा भवन	(राजस्व) (पूंजी)	10,47,87,000 1,19,39,12,000
11	कृषि	(राजस्व) (पूंजी)	8,05,80,000 3,00,00,000
12	उद्यान	(राजस्व) (पूंजी)	48,24,48,683 6,87,000
13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई	(राजस्व) (पूंजी)	1,49,03,03,049 44,14,47,000
14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	(राजस्व) (पूंजी)	5,91,09,300 1,82,00,000
15	योजना एवं पिछडा क्षेत्र उप योजना	(राजस्व) (पूंजी)	25,000 69,16,00,000
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व) (पूंजी)	2,000 2,000
17	निर्वाचन	(राजस्व)	9,78,58,368
18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	(राजस्व) (पूंजी)	1,000 8,05,15,000

19	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	(राजस्व) (पूंजी)	12,71,55,106 1,27,57,000
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व) (पूंजी)	7,000 2,00,00,000
21	सहकारिता	(राजस्व) (पूंजी)	10,06,64,000 39,79,22,350
22	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	(राजस्व)	2,000
23	विद्युत विकास	(राजस्व) (पूंजी)	4,91,12,96,510 64,57,00,000
25	सड़क और जल परिवहन	(राजस्व)	74,31,08,953
26	पर्यटन और नागर विमानन	(राजस्व) (पूंजी)	55,05,07,400 4,00,000
27	श्रम, रोजगार और प्रशिक्षण	(राजस्व)	7,000
28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास	(राजस्व) (पूंजी)	3,20,30,89,700 1,00,00,000
29	वित्त	(राजस्व) (पूंजी)	8,000 94,92,375
30	विविध सामान्य सेवाएं	(राजस्व) (पूंजी)	12,72,04,300 30,84,66,000
31	जनजातीय विकास	(राजस्व) (पूंजी)	67,000 6,000
32	अनुसूचित जाति उप योजना	(राजस्व) (पूंजी)	54,000 13,00,60,000
	जोड़	**(राजस्व)**	**15,02,78,24,915**
		(पूंजी)	**6,95,03,05,725**
		कुल जोड़	**21,97,81,30,640**

इन्हें मैं मतदान हेतु प्रस्तुत करता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के नीमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर तीन में दर्शाई गई मु0 15,02,78,24,915 रुपये

(राजस्व) व 6,95,03,05,725 रुपये (पूंजी) की धनराशियां सम्बंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाए।

2.3.2017/1240/av/dc/5

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के नीमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर तीन में दर्शाई गई मु0 15,02,78,24,915 रुपये (राजस्व) व 6,95,03,05,725 रुपये (पूंजी) की धनराशियां सम्बंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

मांगें पूर्णरूप से पारित हुई।

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

2.3.2017/1240/av/dc/6

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) पुरःस्थापित हुआ।

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

जारी श्री वर्मा द्वारा

02/03/2017/1245/टी0सी0वी0/डी0सी0/1

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।
तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुसूची विधेयक का अंग बनीं।
तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकार)

खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्याः 1) को पारित किया जाये।

मुख्य मंत्रीः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्याः 1) को पारित किया जाये।

उपाध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्याः 1) को पारित किया जाये।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्याः 1) को पारित किया जाये।

(प्रस्ताव स्वीकार)

02/03/2017/1245/टी0सी0वी0/डी0सी0/3

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2017(2017 का विधेयक संख्याः 1) पारित हुआ।

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 03 मार्च, 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 02.03.2017 **सचिव।**